



प्रारूप संख्या एसटीके-6

सार्वजनिक सूचना

[कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में]

सार्वजनिक नोटिस : ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/47

दिनांक: -26.04.2024

संदर्भ:

1. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित (7) कम्पनियों का नाम बिहार राज्य से हटाने के मामले में:

S. No	Work Item	CIN	हिंदी नाम
1	AA6890476	U70109BR2020PTC049002	महाधाम कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
2	AA6905417	U74999BR2022PTC060532	सौरवनेता एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड
3	AA6802847	U47711BR2023PTC064503	मेटी ऑर्क फैशन प्राइवेट लिमिटेड
4	AA6941159	U65999BR2022PLN057940	आयुषरंजन मनी निधि लिमिटेड
5	AA6996477	U74999BR2019PTC040532	बिटएल टेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
6	AA6940090	U51109BR2009PTC015089	मुरारका ट्रेडकैप प्राइवेट लिमिटेड
7	AA6923432	U01409BR2021PTC055097	चेहरा काला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्ट्रार से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्ट्रार से हटाने का प्रस्ताव करता है

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

हरिहर साहू

पंजीयक

प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

CBC 07123/11/0002/2425